

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक: -06.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये के तहत महिलाओं को जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।



मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर

महोबा पुलिस का सशक्त जागरूकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 06.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने

01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 06.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित निरीक्षक अपराध श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० हरीशंकर यादव, हे०कां० सुमित कुमार यादव, कां० हवन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 254/2025 धारा 318(4)/338/336(3) BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त कमलेश पुत्र रामेश्वर राजपूत उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम टिकरिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री अनिल कुमार सिंह
2. उ०नि० हरीशंकर यादव
3. हे०कां० सुमित कुमार यादव
4. कां० हवन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त -

कमलेश पुत्र रामेश्वर राजपूत उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा



“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत बाल विवाह के विरुद्ध महोबा पुलिस का सशक्त जनजागरूकता अभियान...

महोबा जनपद में “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अंतर्गत बाल विवाह के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही एवं व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बाल विवाह न केवल एक गंभीर सामाजिक कुरीति है, बल्कि यह कानूनन दंडनीय अपराध भी है, जो बच्चों विशेषकर बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य पर गंभीर और दीर्घकालिक दुष्प्रभाव डालता है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 06.01.2026 को क्षेत्राधिकारी यातायात महोबा श्री तेज प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बस स्टॉप महोबा पर एक विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार के साथ आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा उपस्थित लोगों को बाल विवाह न कराने एवं बाल विवाह के विरुद्ध सक्रिय रूप से सहयोग करने की शपथ दिलाई गई।

जनता को अवगत कराया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिबंधित है और यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें शामिल व्यक्तियों एवं सहयोग करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

साथ ही यह भी बताया गया कि बाल विवाह की सूचना देने हेतु 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन सहित अन्य सहायता नंबर उपलब्ध हैं, जहाँ सूचना देने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

बाल विवाह विशेष रूप से बालिकाओं के लिए अत्यंत घातक है, जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके जीवन के अनेक अवसर समाप्त हो जाते हैं।

महोबा पुलिस एवं प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलकर कार्य करना होगा।

जनसहयोग से ही एक सुरक्षित, शिक्षित एवं सशक्त भविष्य का निर्माण संभव है।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने चोरी की घटना का किया सफल अनावरण.

चोरी की घटना कारित करने वाले 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की सम्पत्ति की गई बरामद...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 06.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 भगवानदीन मय हमराह हे0कां0 दिनेश सिंह व कां0 श्यामू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.अमित पुत्र कमलेश कुचवदिया उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी मो0 सिकन्दरपुरा चरखारी रोड कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर 2.धीरू पुत्र सन्तराम कुचवदिया उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी मो0 सिकन्दरपुरा नई बस्ती चरखारी रोड राठ कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर कस्बा व थाना चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गई समरसेविल सीरियल नं0 B.G-390 माडल नं0 SP- 6- 1 कम्पनी – PLUGA -KW / HP -3.7/ 5 को बरामद किया गया। अभियुक्तगण की मोटरसाइकिल संख्या UP91Y3107 के वैध कागजात न पाए जाने पर मोटरसाइकिल उपरोक्त को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गई। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 भगवानदीन
2. हे0कां0 दिनेश सिंह 3.कां0 श्यामू कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1.अमित पुत्र कमलेश कुचवदिया उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी मो0 सिकन्दरपुरा चरखारी रोड कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर
- 2.धीरू पुत्र सन्तराम कुचवदिया उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी मो0 सिकन्दरपुरा नई बस्ती चरखारी रोड राठ कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदशुदा माल का विवरण -

अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद समरसेविल सीरियल नं0 B.G-390 माडल नं0 SP- 6- 1 कम्पनी – PLUGA -KW / HP -3.7/ 5 बरामद होना ।

